

पत्रांक -1/प्रा0आ0-04/2009/...../आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह,
अपर सचिव

सेवा में

ज़िला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- अग्निकांड में मृत व्यक्ति के शव के अंत्य-परीक्षण के संबंध में।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 656/आ0प्र0 दिनांक-
30.11.2012 के प्रसंग में कहना है कि अग्निकांड में मृत व्यक्ति के शव का अंत्य परीक्षण
नहीं होने की स्थिति में जिला पदाधिकारी यदि संतुष्ट हो कि मृत्यु अग्निकांड की आपदा
में हुआ है तो अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है। परन्तु संबंधित मृत व्यक्ति
की पहचान हो जानी चाहिए।

अतएव उपरोक्तानुसार मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान भुगतान
संबंधी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राजीव कुमार सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक- 4985 / आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 17/12/12
प्रतिलिपि-सभी जिला पदाधिकारी (सुपौल एवं गोपालगंज को छोड़कर) को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


अपर सचिव